



दूरभाष एवं फ़ैक्स - 0131-2620747
री०यू०जी० मो०न० - 09473942594
email - upjnmzn@gmail.com

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम,
464/47 दक्षिणी सिविल लाईन, (कम्पनी बाग के पीछे) मुजफ्फरनगर

पत्रांक: 3112 / 565 / 01
संज्ञा सं.:

दिनांक: 31-7-15

ग्राम प्रधान/सचिव
ग्राम-तेवडा
विकास खण्ड-मोरना
जनपद-मुजफ्फरनगर।

6

विषय:- तेवडा पेयजल योजना के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस योजना के समस्त कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं, जिनका विवरण सलग्न है। अतः आपसे अनुरोध है कि योजना को हस्तगत करने की कृपा करें तथा हस्तान्तरण प्रपत्र की एक प्रति अभिलेखनार्थ इस कार्यालय को लौटाने की कृपा करें।

- सलग्नक:- (1) कम्प्लीशन प्लान द्विपर्ण में
(2) हस्तान्तरण प्रपत्र द्विपर्ण में

भवदीय

(के० बी० जैन)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-


- 1- मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 2- जिला विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 3- डी०पी०आर०ओ०, मुजफ्फरनगर।

अधिशाली अभियन्ता


COMPLETION CERTIFICATE OF ORIGINAL WORKS

- | | |
|---|---|
| 1- Name of Scheme | Tewda Water Supply Scheme |
| 2- Authority | Executive Engineer, Construction Division, U.P. Jal Nigam, Muzaffarnagar. |
| 3- Plan | Tewda Water Supply Scheme (Under NRWSP) |
| 4- Estimate Cost | 326.77 Lacs |
| 5- Details of Work- | |
| (1) R.C.C. OVERHEAD TANK
600 KL CAPACITY 14M STAGING | |
| (2) Rising Main/By Pass | : 250 mm dia – DI 30.0 M
• As per completion plan attached |
| (3) Distribution System | : PVC Pipe various sizes
63 to 160 mm PVC Pipe = 19584.0 M
200 mm to 250 mm DI Pipe = 704.50 M
As per completion plan attached |
| (4) Pump House | : 01 Nos.
As per completion plan attached |
| (5) Boundary Wall | : 130.00 M
As per completion plan attached |

The above works have been completed in all respect.


Executive Engineer

Return to the Executive Engineer, C.D.U.P. Jal Nigam, Muzaffarnagar with the remark that all the above work have been taken over which are completed in every respect.


Gram Pradhani Tewda


Village Secretary

'हर घर जल' घोषित करने के लिए ग्राम पंचायत का ठराव/ संकल्प
संकल्प/ ठराव संख्या: दिनांक:

संदर्भ: आर. डब्ल्यू. एस./पी. एच. ई. विभाग का प्रमाण पत्र (संलग्नक)
विषय: 'हर घर जल' गांव की घोषणा - गांव के सभी घरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति,
न्यूनतम 55 लीटर, स्वच्छ जल की आपूर्ति हेतु नल कनेक्शन के बारे में।

जिला: मु. नगर

ब्लॉक: मारना

ग्राम पंचायत: तवेडा

गांव: तवेडा

1. घरों की कुल संख्या: 1527
2. नल कनेक्शन वाले घरों की संख्या : 1527
3. संस्थानों में नल कनेक्शन का विवरण :
 - i.) ग्राम पंचायत भवन : हाँ
 - ii.) स्वास्थ्य केंद्र: हाँ
 - iii.) स्कूल: हाँ
 - iv.) आंगनवाड़ी: हाँ
 - v.) आश्रमशाला : नहीं है
 - vi.) मवेशी प्याऊ : हाँ
 - vii.) सामुदायिक स्नान घाट : नहीं है
 - viii.) सामुदायिक शौचालय : नहीं है
4. सामुदायिक योगदान और बैंक खाते का विवरण:
 - i.) नकद
 - ii.) साधन सामग्री
 - iii.) श्रमदान :
 - iv.) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें):
 - v.) बैंक खाते का विवरण:

सा
ग्राम पंचायत तवेडा
मु. नगर

5. पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को एफ. टी. के. (फील्ड टेस्टिंग किट) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है (नाम और वर्तमान संपर्क नंबर);

i.)

There is No ISA Deputed and

ii.)

FTK Kit not distributed till now.

iii.)

iv.)

v.)

6. योजना के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की पहचान की गई है (नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर);

i.)

सोनु

पम्प ऑपरेटर

9997369950

ii.)

7. तकनीकी सहायता के लिए आर. डब्ल्यू. एस./ पी.एच. ई. विभाग के कार्मिक निम्नानुसार हैं

(नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर);

i.)

श्रीरेश दयाल

A.E

8287387045

ii.)

हेमराज

J.E

9068676744

8. गाँव के इलेक्ट्रिशियन, पाइप मिस्त्री, राजगीर, आदि कुशल कारीगर, जो सिस्टम को बहाल करने में मदद करेंगे, निम्नानुसार हैं (नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर);

i.)


ii.)

साधु
ग्राम पंचायत
मोहन मोहन

ग्राम पंचायत/वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति, संकल्प/ ठराव करती है कि गाँव में जलापूर्ति के लिए प्रदान किए गए नल कनेक्शन और प्रबंधन के लिए मानव संसाधन ऊपर वर्णित विवरण के अनुसार हैं। ग्राम पंचायत निम्नानुसार संकल्प लेती है कि :

- i.) तिमाही में कम से कम एक बार पानी का नमूना परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा;
- ii.) एफ.टी.के. से परीक्षण करके परिणाम JJM-WQMIS पोर्टल पर साझा किया जाएगा;
- iii.) सेन्सर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सेन्सर स्थापित करने के लिए मदद और उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा;
- iv.) संचालन और रखरखाव के लिए प्रति घर/-रूपए का जल उपयोग शुल्क पानी समिति के बैंक खाते में लिया जाएगा।

पंचायत सचिव


 सचिव
 (नाम मुहर सहित).....
 ग्राम पंचायत/ गांव (मुहर सहित) तिवडा.....
 खंड... मोरना
 जिला... मु० नगर

17/1
 प्रधान
 ग्राम पंचायत तिवडा
 सरपंच/अध्यक्ष/अध्यक्षा
 वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति

(नाम मुहर सहित)
 ग्राम पंचायत/ गांव... तिवडा
 खंड... मोरना
 जिला... मु० नगर

'हर घर नल'- गांव

प्रमाणपत्र


(पी.एच.ई./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा)

जिला: ११०-१३१८ब्लॉक: मोरनाग्राम पंचायत: तेवड़ागांव: तेवड़ा

इस प्रमाणित किया जाता है कि यह गांव 'हर घर नल' है अर्थात् निम्नलिखित कार्यो की पूर्णता के अंतर्गत के पश्चात, दिनांक तक गांव के सभी घरों में नल जल कनेक्शन दे दिए गए है :

1. सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है;
2. सभी नल कनेक्शन पाइप को क्लैप के साथ दीवारों पर लगाया गया है और खुली जगह के मामले में, पाइप उचित सीमेंट-कंक्रीट (सीसी) प्लेटफॉर्म में स्थित कर दिए गए हैं;
3. सभी घरों में नल के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति की जा रही है;
4. सभी घरों में नल के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुरक्षित है (आईएस 10500 के अनुसार);
5. गांव में वितरण पाइप लाइन से पानी का रिसाव नहीं हो रहा है;
6. सभी ग्राम पदाधिकारियों के नाम जैसे ग्राम पंचायत सदस्य, वी.डब्ल्यू.एस.सी. सदस्य, ओ एंड एम स्टाफ, एफ.टी.के. का उपयोग करने के लिए परीक्षण के लिए प्रशिक्षित 5-व्यक्ति और संबंधित पी.एच.ई.डी. अधिकारी की पहचान की गयी है और आई.एम.आई.एस. पर अपलोड कर दिया गया है;
7. जिस परिवार को नल कनेक्शन दिया गया है, उसका विवरण आई.एम.आई.एस. पर अपलोड कर दिया गया है;
8. जलापूर्ति कार्य पूरा होने के बाद सभी सड़कों को सुधार दिया गया है;
9. सरपंच/ वार्ड सदस्यों के साथ एक ट्रान्सेक्ट वॉक का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन और संदूषण मुक्त शुद्ध पानी पीने के लाभों के बारे में शिक्षित कर दिया गया है;
10. सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आश्रमशाला को जल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है;

- 11. घरों और संस्थानों से निकलने वाले ग्रे वाटर का वैज्ञानिक विधि से निपटारा किया जा रहा है/ किया जाएगा, तथा
- 12. वर्षा जल संचयन/भूजल पुनर्भरण संरचना लागू कर दी गई है/की जाएगी।


 नामित पर्यवेक्षी अधिकारी
 (तारीख के साथ हस्ताक्षर)

अधिसूची अधिनियम
निर्माण खण्ड 3070 जल निगम
पी.एच.डी.टी./ओर डेवेलपमेंट्स.एस.एस.टी.
मुजफ्फरनगर/सहायनगर
